

प्रेस नोट दिनांक - 16.05.2021

इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेद में दिनांक 13.05.2021 को थाना सहसों क्षेत्रन्तर्गत डीसीएम लूट की घटना का मात्र 48 घण्टें में सफल अनावरण करते हुए लूट के मास्टरमाइंड सहित 05 अभियुक्तों को लूटे हुए डीसीएम एवं डीसीएम में लदा हुआ माल (कुल अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए) व घटना में प्रयुक्त 01 कार व अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया।

जनपद में अपराध एवं अपराधिक घटनाओं पर अकुंश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० श्री बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/ ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी चकरनगर के नेतृत्व में एसओजी टीम इटावा व थाना सहसों पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेद में दिनांक 13.05.2021 को थाना सहसों क्षेत्रन्तर्गत ट्रक लूट की घटना का मात्र 48 घण्टें में सफल अनावरण करते हुए लूट के मास्टरमाइंड सहित 05 अभियुक्तों को लूटे हुए ट्रक एवं ट्रक में लदा हुआ माल (कुल अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए) व घटना में प्रयुक्त 01 कार व अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.05.2021 को थाना सहसों पर वादी जनक सिंह पुत्र अंगनलाल निवासी बास महुआ थाना शमशाबाद जनपद आगरा द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 13.05.2021 को आगरा से झांसी के लिए अपनी डीसीएम संख्या यूपी 80 ईटी 1479 में पीवीसी पाइप व प्लास्टिक टंकी लादकर जा रहा था तभी थाना सहसों क्षेत्रन्तर्गत हनुमन्तपुरा चौराहा से आगे बिठौली रोड एक सफेद ऑल्टो कार सवार 4-5 युवकों के द्वारा मेरा पीछा कर मुझे रोक कर मारपीट की गयी एवं तमंचा के बल पर मेरी डीसीएम को लूट कर ले गए हैं। वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सहसों पर मु0अ0स0 42/21 धारा 395 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त लूट की घटना पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण एवं घटना में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी चकरनगर के नेतृत्व में एसओजी टीम एवं थाना सहसों से 02 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में गठित टीमों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 16.05.2021 को एसओजी पुलिस एवं थाना सहसों पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से हनुमन्तपुरा चौराहा पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी तभी पुलिस टीम को एक डीसीएम गाड़ी व एक ऑल्टों कार आती हुयी दिखायी दी जिन्हे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया तो उक्त गाड़ी चालकों द्वारा गाड़ियों को तेजी से भगाने का प्रयास किया तो दोनों गाड़ियों में से कुल 05 अभियुक्तों द्वारा पाडरीबाबा पुलिया के पास गाड़ियों को रोककर जंगल की ओर भागे। पुलिस टीम से स्वयं को चारो से घिरा हुआ देखकर अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से तमंचा से फायर किया गया। जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्यवाही करते हुए मौके से सभी 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से पर्याप्त मात्रा में अवैध असलहा बरामद किया गया एवं डीसीएम तथा उसमें लदे माल के संबंध में पूछताछ की गयी।

पुलिस पूछताछ- पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया कि हम सभी लोगों के द्वारा दिनांक 13.05.2021 को थाना सहसों क्षेत्रान्तर्गत पीवीसी पाइपों व प्लास्टिक की टंकी से लदी एक डीसीएम को तमंचे के बल पर लूटा गया था। जिन्हें आज हम लोग झाँसी बिक्री करने ले जा रहे थे । घटना के मास्टरमाइंड रवि परिहार द्वारा बताया कि दिनांक 13.05.2021 को हम लोगों द्वारा एक जगह शराब पीकर अधिक धन लाभ कमाने हेतु लूट की योजना बनायी थी ,हम सभी लोग मेरी ऑल्टों कार यूपी 75 एफ 7475 में बैठकर सही मौके का इन्तजार करने लगे तभी हम लोगो को एक डीसीएम आती हुयी दिखायी दी जिसका हम लोगो द्वारा हनुमंतपुरा चौराहा से पीछा किया जो कि झांसी की ओर जा रही थी जिसे हम लोगो द्वारा रोककर तमंचे के बल पर लूट लिया गया था ।

थाना सहसों पर पूर्व में पंजीकृत अभियोग 42/21 में गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर धारा 392 का लोप करते हुए धारा 395,412,भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रवि सिंह परिहार पुत्र रामसहाय निवासी बंसरी थाना बिठौली जनपद इटावा।
2. सुन्दर सिंह परिहार पुत्र मलिखान सिंह निवासी उपरोक्त।
3. रमाकान्त उर्फ टुंडे पुत्र अशोक सिंह परिहार निवासी उपरोक्त।
4. एलानी उर्फ श्री कृष्ण परिहार पुत्र कन्हैया लाला निवासी उपरोक्त।
5. धर्मन्द्र उर्फ ललाह परिहार पुत्र थान सिंह निवासी पिपरोली गडिया थाना सहसों जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास-

1. **रवि परिहार पुत्र रामसहाय निवासी बंसरी थाना बिठौली जनपद इटावा।**
 - मु0अ0स0 42/21 धारा 395,412,भादवि थाना सहसों।
 - मु0अ0स0 43/21 धारा 147,148,149,34,307 (पुलिस मुठभेड़) भादवि व 10/12 डीडीए एक्ट।
 - मु0अ0स0 46/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहसों।
2. **सुन्दर सिंह परिहार पुत्र मलिखान सिंह निवासी बंसरी थाना बिठौली जनपद इटावा ।**
 - मु0अ0स0 42/21 धारा 395,412,भादवि थाना सहसों।
 - मु0अ0स0 43/21 धारा 147,148,149,34,307(पुलिस मुठभेड़) भादवि व 10/12 डीडीए एक्ट
 - मु0अ0स0 45/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहसों।
 - मु0अ0स0 13/19 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना सहसों।
3. **रमाकान्त उर्फ टुंडे पुत्र अशोक सिंह परिहार निवासी बंसरी थाना बिठौली जनपद इटावा।**
 - मु0अ0स0 42/21 धारा 395,412,भादवि थाना सहसों।
 - मु0अ0स0 43/21 धारा 147,148,149,34,307(पुलिस मुठभेड़) भादवि व 10/12 डीडीए एक्ट
 - मु0अ0स0 47/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहसों।
 - मु0अ0स0 13/19 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना सहसों।
4. **एलानी उर्फ श्री कृष्ण परिहार पुत्र कन्हैया लाला निवासी बंसरी थाना बिठौली जनपद इटावा।**
 - मु0अ0स0 42/21 धारा 395,412,भादवि थाना सहसों।
 - मु0अ0स0 43/21 धारा 147,148,149,34,307(पुलिस मुठभेड़) भादवि व 10/12 डीडीए एक्ट

- मु0अ0स0 48/21 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना सहसों
- 5. धर्मेन्द्र उर्फ ललाह परिहार पुत्र थान सिंह निवासी पिपरोली गडिया थाना सहसों जनपद इटावा।
- मु0अ0स0 42/21 धारा 395,412,भादवि थाना सहसों
- मु0अ0स0 43/21 धारा 147,148,149,34,307(पुलिस मुठभेड़) भादवि व 10/12 डीडीए एक्ट
- मु0अ0स0 44/21 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना सहसोंनपद इटावा

बरामदगी-

1. 01 डीसीएम संख्या यूपी 80 ईटी 1479 (अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख) लूटी हुयी
2. लोहे व प्लास्टिक की पाइप व टंकी (कीमत लगभग 10 लाख) लूटी हुयी
3. 01 आल्टों कार संख्या यूपी 75 एफ 7475 (घटना में प्रयुक्त)
4. 04 अदद तमंचा 315 बोर
5. 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर
6. 04 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
7. 01 अदद चाकू

पुलिस टीम-

प्रथम टीम- श्री सतीश यादव प्रभारी एसओजी मय टीम, श्री बेचन सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

द्वितीय टीम- श्री गंगादास गौतम थानाध्यक्ष सहसों मय टीम ।

नोट- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करने वाली एसओजी एवं थाना सहसों पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000 रुपए ईनाम से पुरुष्कृत किया गया।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा।